प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
....

पत्रांक–478/नि0शा0/2021–22 दिनांक–22-03-2022.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0 एस0वाई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0) के अन्तर्गत पुरूषों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1182.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 788.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 11/2022/124/सत्रह–म–2022–17–1002(002)/1/2021 दिनांक 21.03.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/लाभार्थी–60 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–17 में पुरूष वर्ग हेतु **निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1182.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 788.00 लाख** (रू0 सात करोड़ अट्ठासी लाख मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत पुरूष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (...9.....) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,
....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
....

पत्रांक– /नि0शा0/2021–22 दिनांक– 22-03-2022.

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत पुरूषों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1182.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 788.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 11/2022/124/सत्रह–म–2022–17–1002(002)/1/2021 दिनांक 21.03.2022, जिसके द्वारा वर्ष 2020–21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021–22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/रा016/लाभार्थी–60 के0+रा0) के अर्न्तगत अनुदान सं0–17 में पुरूष वर्ग हेतु **निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1182.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 788.00 लाख** (रू0 सात करोड़ अट्ठासी लाख मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के कियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2020/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।.

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार बास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16– लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17– विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त धनराशि अनुदान सं0–17 के अन्तर्गत पुरूष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरूष लाभार्थी–60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (...9......) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 478 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी................................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-NEW PONDS FIRST YEAR NIVESH MALE 20-21 22-03-22
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	369000 5937870	369000 5937870
2	मुज़फ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	238000 3552040	238000 3552040
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	172000 3776600	172000 3776600
4	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	178000 2938400	178000 2938400
5	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	324000 5138800	324000 5138800
6	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	468000 24509980	468000 24509980
7	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	334000 11803430	334000 11803430
8	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	228000 5220400	228000 5220400
9	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	415000 5788400	415000 5788400
10	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	152000 2463200	152000 2463200
11	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	149000 5247600	149000 5247600
12	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	204000 2619920	204000 2619920
13	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	129000 2100000	129000 2100000
14	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	208000 2286320	208000 2286320
15	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	66000 845100	66000 845100
16	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	217000 4931520	217000 4931520
17	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	176000 2978600	176000 2978600
18	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	319000 6298080	319000 6298080
19	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	159000 3685200	159000 3685200
20	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	39000 3528200	39000 3528200
21	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	150000 3320720	150000 3320720
22	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	520000 11049400	520000 11049400

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
23	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	162000 2519000	162000 2519000
24	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	60000 1596960	60000 1596960
25	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	96000 1514180	96000 1514180
26	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	264000 4017400	264000 4017400
27	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	247000 7329240	247000 7329240
28	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	539000 9436800	539000 9436800
29	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	443000 14646600	443000 14646600
30	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	780000 17354000	780000 17354000
31	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1224000 24916380	1224000 24916380
32	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	250000 4430000	250000 4430000
33	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी	36000 411000	36000 411000
34	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	397000 10811700	397000 10811700
35	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	129000 2949600	129000 2949600
36	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	224000 20929200	224000 20929200
37	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	257000 5588440	257000 5588440
38	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	490000 5667520	490000 5667520
39	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	296000 5007320	296000 5007320
40	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	276000 4272000	276000 4272000
41	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	407000 8968200	407000 8968200
42	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	181000 2970800	181000 2970800
43	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	1439000 20439280	1439000 20439280
44	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	96000 1051720	96000 1051720
45	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	786000 32375760	786000 32375760
46	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	585000 7354000	585000 7354000
47	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	500000 7749400	500000 7749400
48	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	170000 3370000	170000 3370000
49	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1198000 19330700	1198000 19330700
50	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	694000 9670050	694000 9670050
51	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	98000 3306050	98000 3306050
52	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	48000 4438040	48000 4438040
53	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1049000 21077800	1049000 21077800

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
54	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	58000 2947960	58000 2947960
55	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1098000 22949280	1098000 22949280
56	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	350000 11985600	350000 11985600
57	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	858000 13631800	858000 13631800
58	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	108000 5635570	108000 5635570
59	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1118000 19747460	1118000 19747460
60	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	60000 2235720	60000 2235720
61	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	154000 1981320	154000 1981320
62	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	121000 2987920	121000 2987920
	योग	वर्तमान प्रगामी	22560000 489621550	22560000 489621550

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अड़तालीस करोड़ छियानवे लाख इक्कीस हजार पाँच सौ पचास

(पूजा ...)

वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LARGE BIOFALAK RAS MALE 20-21 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	800000 14227700	800000 14227700
2	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1600000 16246600	1600000 16246600
3	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	800000 18154000	800000 18154000
4	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	800000 25716380	800000 25716380
5	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	800000 11611700	800000 11611700
6	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	4800000 37175760	4800000 37175760
7	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600000 13585600	1600000 13585600
	योग	वर्तमान प्रगामी	11200000 136717740	11200000 136717740

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बारह लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ सरसठ लाख सत्रह हजार सात सौ चालीस

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-BIOFALAK TALAB NIRMAN MALE 20-21 22-3-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	672000 6609870	672000 6609870
2	मुज़फ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	448000 4000040	448000 4000040
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	448000 14675700	448000 14675700
4	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	224000 3186000	224000 3186000
5	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	224000 4000600	224000 4000600
6	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 3162400	224000 3162400
7	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 5362800	224000 5362800
8	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	448000 24957980	448000 24957980
9	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	224000 6012400	224000 6012400
10	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 5471600	224000 5471600
11	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	224000 2843920	224000 2843920
12	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 5155520	224000 5155520
13	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 3202600	224000 3202600
14	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 6522080	224000 6522080
15	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	224000 3909200	224000 3909200
16	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	448000 3768720	448000 3768720
17	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	224000 11273400	224000 11273400
18	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	224000 2743000	224000 2743000
19	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	224000 1820960	224000 1820960
20	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 1738180	224000 1738180
21	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 4241400	224000 4241400
22	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 998000	224000 998000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
23	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	224000 7553240	224000 7553240
24	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	224000 9660800	224000 9660800
25	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2240000 18486600	2240000 18486600
26	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	448000 18602000	448000 18602000
27	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1120000 26836380	1120000 26836380
28	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	448000 12059700	448000 12059700
29	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	448000 21377200	448000 21377200
30	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	224000 5812440	224000 5812440
31	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	448000 20887280	448000 20887280
32	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	224000 7578000	224000 7578000
33	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	448000 8197400	448000 8197400
34	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 3594000	224000 3594000
35	गाजियाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 5520000	224000 5520000
36	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1568000 20898700	1568000 20898700
37	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1792000 6230040	1792000 6230040
38	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1344000 22421800	1344000 22421800
39	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 1538000	224000 1538000
40	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	896000 3843960	896000 3843960
41	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2240000 25189280	2240000 25189280
42	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 13809600	224000 13809600
43	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 13855800	224000 13855800
44	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 5859570	224000 5859570
45	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 19971460	224000 19971460
46	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	224000 3211920	224000 3211920
	योग	वर्तमान प्रगामी	22400000 428651540	22400000 428651540

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ चौबीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बयालीस करोड़ छियासी लाख इक्यावन हजार पाँच सौ चालीस

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MEDIUM RAS BIOFALAK MALE 20-21 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	400000 7009870	400000 7009870
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	400000 15075700	400000 15075700
3	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	400000 4309200	400000 4309200
4	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	400000 3928200	400000 3928200
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी	400000 7978000	400000 7978000
6	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 21698700	800000 21698700
7	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 22821800	400000 22821800
8	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 25589280	400000 25589280
	योग	वर्तमान प्रगामी	3600000 108410750	3600000 108410750

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छत्तीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ चौरासी लाख दस हजार सात सौ पचास

(पूजा रतन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-SMALL FEED MIL MALE 20-21 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	480000 26069280	480000 26069280
	योग	वर्तमान प्रगामी	480000 26069280	480000 26069280

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख अस्सी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ साठ लाख उनहत्तर हजार दो सौ अस्सी

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:-	1
आवंटन आदेश संख्या:-	001-LARGE FEED MIL MALE 20-21 22-03-2022
अनुदान संख्या:-	17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1920000 16995700	1920000 16995700
	योग	वर्तमान प्रगामी	1920000 16995700	1920000 16995700

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनीस लाख बीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ उनहत्तर लाख पंचानवे हजार सात सौ

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-FISH FEED PLANT MALE 20-21 22-03-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	10400000 31777200	10400000 31777200
2	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	6240000 43415760	6240000 43415760
	योग	वर्तमान प्रगामी	16640000 75192960	16640000 75192960

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ छियासठ लाख चालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ इक्यावन लाख बानवे हजार नौ सौ साठ

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020–21

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	नये तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश @ **Rs. 4.0 lacs/hectare**						
		सामान्य लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021–22)						
		क्षेत्रफल हे0	धनराशि	कुल अनुदान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि			कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
					कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आगरा	10.096	40.384	16.1536	8.34	5.000	3.340	3.340
2	फिरोजाबाद	2.954	11.816	4.7264	2.44	1.460	0.980	0.980
3	मथुरा	14.174	56.696	22.6784	11.71	7.030	4.680	4.680
4	अलीगढ	9.800	39.200	15.6800	8.10	4.860	3.240	3.240
5	हाथरस	3.269	13.076	5.2304	2.70	1.620	1.080	1.080
6	एटा	3.300	13.200	5.2800	2.73	1.640	1.090	1.090
7	कासगंज	3.600	14.400	5.7600	2.97	1.780	1.190	1.190
8	आजमगढ	12.010	48.040	19.2160	9.92	5.950	3.970	3.970
9	मऊ	36.263	145.052	58.0208	29.96	17.980	11.980	11.980
10	बलिया	3.900	15.600	6.2400	3.22	1.930	1.290	1.290
11	प्रयागराज	15.750	63.000	25.2000	13.01	7.810	5.200	5.200
12	कौशम्बी	1.800	7.200	2.8800	1.49	0.890	0.600	0.600
13	फतेहपुर	4.524	18.096	7.2384	3.74	2.240	1.500	1.500
14	प्रतापगढ	4.900	19.600	7.8400	4.05	2.430	1.620	1.620
15	कानपुर नगर	4.800	19.200	7.6800	3.97	2.380	1.590	1.590
16	कानपुरदेहात	1.180	4.720	1.8880	0.97	0.580	0.390	0.390
17	इटावा	4.427	17.708	7.0832	3.66	2.200	1.460	1.460
18	औरैया	5.230	20.920	8.3680	4.32	2.590	1.730	1.730
19	फरूखाबाद	4.435	17.740	7.0960	3.66	2.200	1.460	1.460
20	कन्नौज	0.905	3.620	1.4480	0.75	0.450	0.300	0.300
21	गोरखपुर	23.600	94.400	37.7600	19.50	11.700	7.800	7.800
22	महाराजगंज	31.750	127.000	50.8000	26.23	15.740	10.490	10.490
23	देवरिया	37.026	148.104	59.2416	30.59	18.350	12.240	12.240
24	कुशीनगर	33.221	132.884	53.1536	27.45	16.470	10.980	10.980
25	हमीरपुर	8.000	32.000	12.8000	6.61	3.970	2.640	2.640
26	झॉसी	1.812	7.248	2.8992	1.50	0.900	0.600	0.600
27	जालौन	2.921	11.684	4.6736	2.41	1.450	0.960	0.960
28	ललितपुर	5.150	20.600	8.2400	4.26	2.560	1.700	1.700
29	गोण्डा	43.601	174.404	69.7616	35.99	21.600	14.390	14.390
30	बलरामपुर	33.817	135.268	54.1072	27.94	16.760	11.180	11.180
31	बहराइच	15.120	60.480	24.1920	12.49	7.490	5.000	5.000
32	श्रावस्ती	4.664	18.656	7.4624	3.85	2.310	1.540	1.540
33	अयोध्या	5.475	21.900	8.7600	4.52	2.710	1.810	1.810
34	अम्बेडकर नगर	10.600	42.400	16.9600	8.76	5.260	3.500	3.500
35	सुल्तानपुर	2.899	11.596	4.6384	2.40	1.440	0.960	0.960
36	अमेठी	17.700	70.800	28.3200	14.62	8.770	5.850	5.850

क्र0	जनपद	नये तालाब निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश @ Rs. 4.0 lacs/hectare सामान्य लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021–22)						
		क्षेत्रफल हे0	धनराशि	कुल अनुदान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि			कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
					कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	बाराबंकी	23.782	95.128	38.0512	19.65	11.790	7.860	7.860
38	बरेली	12.555	50.220	20.0880	10.37	6.220	4.150	4.150
39	बदायूँ	4.600	18.400	7.3600	3.80	2.280	1.520	1.520
40	शाहजहाँपुर	6.294	25.176	10.0704	5.20	3.120	2.080	2.080
41	पीलीभीत	2.000	8.000	3.2000	1.65	0.990	0.660	0.660
42	बस्ती	7.580	30.320	12.1280	6.26	3.760	2.500	2.500
43	संतकबीर नगर	1.100	4.400	1.7600	0.91	0.550	0.360	0.360
44	सिद्वार्थ नगर	21.001	84.004	33.6016	17.35	10.410	6.940	6.940
45	हापुड़	5.200	20.800	8.3200	4.30	2.580	1.720	1.720
46	बुलन्दशहर	5.390	21.560	8.6240	4.45	2.670	1.780	1.780
47	मुरादाबाद	6.159	24.636	9.8544	5.09	3.050	2.040	2.040
48	अमरोहा	3.669	14.676	5.8704	3.03	1.820	1.210	1.210
49	रामपुर	6.564	26.256	10.5024	5.42	3.250	2.170	2.170
50	बिजनौर	4.500	18.000	7.2000	3.72	2.230	1.490	1.490
51	सम्भल	3.900	15.600	6.2400	3.22	1.930	1.290	1.290
52	लखनऊ	6.770	27.080	10.8320	5.59	3.350	2.240	2.240
53	उन्नाव	7.768	31.072	12.4288	6.42	3.850	2.570	2.570
54	रायबरेली	14.834	59.336	23.7344	12.26	7.360	4.900	4.900
55	सीतापुर	8.959	35.836	14.3344	7.40	4.440	2.960	2.960
56	हरदोई	8.350	33.400	13.3600	6.90	4.140	2.760	2.760
57	लखीमपुरखीरी	12.325	49.300	19.7200	10.18	6.110	4.070	4.070
58	चन्दौली	25.960	103.840	41.5360	21.45	12.870	8.580	8.580
59	गाजीपुर	7.483	29.932	11.9728	6.18	3.710	2.470	2.470
60	जौनपुर	16.320	65.280	26.1120	13.48	8.090	5.390	5.390
61	मिर्जापुर	13.400	53.600	21.4400	11.07	6.640	4.430	4.430
62	सोनभद्र	1.450	5.800	2.3200	1.20	0.720	0.480	0.480
63	भदोही	1.767	7.068	2.8272	1.46	0.880	0.580	0.580
64	सहारनपुर	11.167	44.668	17.8672	9.23	5.540	3.690	3.690
65	मुजफ्फरनगर	5.370	21.480	8.5920	4.44	2.660	1.780	1.780
66	शामली	1.798	7.192	2.8768	1.49	0.890	0.600	0.600
	प्रदेश योग	**682.688**	**2730.752**	**1092.3008**	**564.00**	**338.400**	**225.600**	**225.600**

(रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार मात्र)

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21							
क्रम	जनपद	वृहद आर0ए0एस0 / वृहद वायोफलाक / **Rs. 50.0 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आजमगढ	1	50.00	20.00	12.00	8.00	8.00
2	गोरखपुर	1	50.00	20.00	12.00	8.00	8.00
3	अम्बेडकर नगर	2	100.00	40.00	24.00	16.00	16.00
4	बाराबंकी	6	300.00	120.00	72.00	48.00	48.00
5	मेरठ	1	50.00	20.00	12.00	8.00	8.00
6	देवरिया	1	50.00	20.00	12.00	8.00	8.00
7	मिर्जापुर	2	100.00	40.000	24.000	16.000	16.00
	प्रदेश योग	**14**	**700.00**	**280.00**	**168.00**	**112.00**	**112.00**

(रू0 एक करोड़ बारह लाख मात्र)

21/03/22

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020–21

(धनराशि रू0 लाख में)

क0	जनपद	मीठे जल में वायो फलाक तालाब निर्माण / Rs. 14.0 lacs/(0.1)hectare					
		सामान्य लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021–22)					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0स ी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
					केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मथुरा	2	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
2	अलीगढ	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
3	हाथरस	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
4	आजमगढ	2	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
5	मऊ	7	98.000	39.200	23.520	15.680	15.680
6	प्रयागराज	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
7	फतेहपुर	2	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
8	प्रतापगढ	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
9	कानपुर नगर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
10	औरैया	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
11	फरूर्खाबाद	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
12	गोरखपुर	2	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
13	महाराजगंज	6	84.000	33.600	20.160	13.440	13.440
14	देवरिया	5	70.000	28.000	16.800	11.200	11.200
15	कुशीनगर	10	140.000	56.000	33.600	22.400	22.400
16	बांदा	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
17	हमीरपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
18	महोबा	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
19	झॉसी	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
20	जालौन	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
21	ललितपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
22	गोण्डा	2	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
23	बलरामपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
24	बहराइच	2	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
25	अम्बेडकर नगर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
26	अमेठी	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
27	बरेली	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
28	मेरठ	2	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
29	हापुड़	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
30	बागपत	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240

क्र०	जनपद	मीठे जल में वायो फलाक तालाब निर्माण / Rs. 14.0 lacs/(0.1)hectare					
		सामान्य लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021–22)					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0स0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
					केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	गाजियाबाद	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
32	बुलन्दशहर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
33	मुरादाबाद	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
34	अमरोहा	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
35	रामपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
36	बिजनौर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
37	लखनऊ	2	28.000	11.200	6.720	4.480	4.480
38	उन्नाव	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
39	चन्दौली	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
40	गाजीपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
41	जौनपुर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
42	मिर्जापुर	10	140.000	56.000	33.600	22.400	22.400
43	सोनभद्र	8	112.000	44.800	26.880	17.920	17.920
44	भदोही	4	56.000	22.400	13.440	8.960	8.960
45	सहारनपुर	3	42.000	16.800	10.080	6.720	6.720
46	मुजफ्फरनगर	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
47	शामली	1	14.000	5.600	3.360	2.240	2.240
	प्रदेश योग	**100**	**1400.000**	**560.000**	**336.000**	**224.000**	**224.000**

(रूपये दो कारोड़ चौबीस लाख मात्र)

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21							
क्रमांक	जनपद	मध्याकार आर0ए0एस0 / मध्याकार वायोफलाक / **Rs. 25 .0 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मऊ	2	50.00	20.00	12.00	8.00	8.00
2	कानपुर नगर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	4.00
3	कानपुरदेहात	1	25.00	10.00	6.00	4.00	4.00
4	महाराजगंज	1	25.00	10.00	6.00	4.00	4.00
5	कुशीनगर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	4.00
6	अमेठी	1	25.00	10.00	6.00	4.00	4.00
7	मेरठ	1	25.00	10.00	6.00	4.00	4.00
8	सहारनपुर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	4.00
	प्रदेश योग	**9**	**225.00**	**90.00**	**54.00**	**36.00**	**36.00**

(रू0 छत्तीस लाख मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21							
कमांक	जनपद	लघु फीड मिल / **Rs. 30.0 lacs/unit**					
		सामान्य लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुशीनगर	1	30.00	12.00	7.20	4.80	4.80

(रू0 चार लाख अस्सी हजार मात्र)

21/03/22

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21 Annexure-

वृहद फीड मिल / Rs. 200.00 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किश्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रू लाख में)		प्रथम किश्त के रूप में कुल अवमुंक्त अनुदान (रू लाख में)	द्वितीय किश्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रू लाख में)		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	केन्द्राश	राज्यांश		केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मेरठ	1	200.00	80.00	48.00	32.00	19.20	12.80	32.00	28.80	19.20	19.20

(रू0 उन्नीस लाख बीस हजार मात्र)

21/03/22

annexure-

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2020-21

फीड प्लांट / Rs. 650.00 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

कम	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किश्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रू लाख में)		प्रथम किश्त के रूप में कुल अवमुंक्त अनुदान (रू लाख में)	द्वितीय किश्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रू लाख में)		कुल अवमुंक्त अनुदान केवल (राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	केन्द्राश	राज्यांश		केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बाराबंकी	1	650.00	260.00	156.00	104.00	62.40	41.60	104.00	93.60	62.40	62.40
2	लखनऊ	1	650.00	260.00	156.00	104.00	0.00	0.00	0.00	156.00	104.00	104.00
		2	1300.00	520.00	312.00	208.00	62.40	41.60	104.00	249.60	166.40	166.40

(रू0 एक करोड़ छाछठ लाख चालीस हजार मात्र)

21/03/22

File No.17-1002(002)/1/2021- -1-

संख्याः 11 /2022/124 /सत्रह-म-2022-17-1002(002)/1/2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0 एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत सामान्य (पुरूष) वर्ग हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रू0 1182.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 788.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-50 /नि0शा0/ 2021-22 /16-19(6) दिनांक 14 फरवरी, 2022 एवं पत्र संख्या- 81/ नि0शा0/ 2021-22/16-19(6) दिनांक 10 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष + महिला) मद हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2698.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-17 में पुरूष वर्ग हेतु प्रावधानित बजट धनराशि रू0 14410.97 लाख के अन्तर्गत निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 1182.00 के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 788.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में पत्रांक-W-11011/8/2020-Fy दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्रांश धनराशि रू0 2698.00 लाख अवमुक्त की गयी है। आय-व्ययक 2021-22 में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत प्रनगत योजना में सामान्य पुरूष वर्ग हेतु कुल रू0 14410.97 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। द्वितीय किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 30.12.2021 द्वारा अवमुक्त उक्त कुल केन्द्रांश धनराशि रू0 2698.00 लाख में से प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार सामान्य पुरूष वर्ग हेतु रू0 1182.00 लाख (कुल का 43.82 प्रतिशत) केन्द्रांश की सीमा तक मैचिंग राज्यांश को सम्मिलित करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सकती है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत सामान्य पुरूष वर्ग हेतु प्रावधानित बजट रू0 14410.97 लाख में से उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रू0 1182.00 के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 788.00 लाख (रू0 सात करोड अटठासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 07 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजनाओं का नाम/ वित्त पोषण (के024+रा016+पु0.10-60,के.+रा.)	इकाई (हे0/ सं0)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजावार प्रस्ताव			द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति	
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मीठे जल में मत्स्य पालन हेतु निवेश	694.791	4.00	2779.16	667.00	444.67	1667.50	225.60	225.60
2	वृहद आर0ए0 एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	63	50.00	3150.00	756.00	504.00	1890.00	112.00	112.00
3	मीठे जल में बायोफ्लाकतालाबों का निर्माण	207	14.00	2898.00	695.52	463.68	1738.80	224.00	224.00
4	मध्यमाकार आर0ए0'स0/ बायोफ्लाक का निर्माण	28	25.00	700.00	168.00	112.00	420.00	36.00	36.00
5	लघु मिलों की स्थापना (उत्पादन क्षमता 2 टन / दिन)	15	30.00	450.00	108.00	72.00	270.00	4.80	4.80
6	वृहद मिल की स्थपना (उत्पादन क्षमता 20 टन / दिन)	1	200.00	200.00	48.00	32.00	120.00	19.20	19.20
7	फिश फीड प्लांट की स्थापना (उत्पादन क्षमता 100 टन / दिन),	2	650.00	1300.00	312.00	208.00	780.00	166.40	166.40
					कुल योग			788.00	788.00

(रू0 सात करोड अठासी लाख मात्र).

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.12.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3)

(4) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(5) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल अवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न हीं इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(14) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(18) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बंधित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाईन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

5 - उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के024/ रा016/ पु0 लाभार्थी-60, के0+रा0) 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैरवेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5)

6 - यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर / अशासकीय संख्या-ई-1-3724/दस-2021-2022 दिनांक-19.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव
Date: 21-03-2022 15:36:46
Reason: Approved

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

संख्या- 11 /2022 / 124 (1) /सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. सयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।